# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

Email Id :- ecgrf.raipur@cspc.co.in, Phone No. 0771-2593112


क्रमांक / विउशिनिफोरा / रा.श. / 2026 / 428 रायपुर, दिनांक 12 FEB 2026

प्रति,

1. श्रीमति सरोज कंवर,
   पता – निखिल विहार बोरिया खुर्द,
   जिला – रायपुर (छ.ग.)

2. कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण),
   छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

**विषय** :– प्रकरण क्रमांक / 01 / रायपुर / 2026 पर पारित आदेश ।

=0000=

विषयान्तर्गत प्रकरण पर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर) द्वारा पारित आदेश की प्रति संलंग्न कर प्रेषित है ।

**संलग्न** :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.डी. बड़गैया)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम, रायपुर (शहर)

[Stamp: विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)]

**प्रतिलिपि** :– अधीक्षण अभियंता (नगर) वृत्त–एक, छ.स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर
## सी–5 विद्युत मण्डल परिसर, गुढ़ियारी, रायपुर

**विषयः**– मीटर खराब होने की शिकायत लंबित रहते हुए बिजली काटे जाने के संबंध में ।

प्रकरण क्रमांक / 01 / रायपुर / 2026

श्रीमति सरोज कंवर, ....आवेदिका
पता – निखिल विहार बोरिया खुर्द,
जिला – रायपुर (छ.ग.)
मो.नं. 88150–42419

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता नगर संभाग (दक्षिण), ....उत्तरवादी
छ.स्टे.पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर (छ.ग.)

निर्णय

(दिनांक 12 / 02 / 2026 को घोषित)

1. आवेदिका श्रीमति सरोज कंवर द्वारा प्रस्तुत मूल शिकायत दिनांक 09.01.2026 यह है कि "दिनांक 15.09.25 को मेरे किरायेदार द्वारा मेरी ओर से यह शिकायत दी गई थी कि मेरा बिजली मीटर खराब है शिकायत के बाद भी 3–4 माह तक कोई मीटर जांच के लिए नहीं आया और समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया । दिसंबर 2025 का बिल भी अधिक आया (6010 रू0) जिसे मीटर जांच न होने के कारण मैने जमा नहीं किया । इसके बाद जनवरी 2026 में बिना समस्या का समाधान किए मेरी बिजली आपूर्ति काट दी गई ।

कृपया समस्या के समाधान के लिए मीटर की जांच / परिवर्तन कराया जाए और बिजली चाजू कराई जाए ।"

2. यह कि अनावेदक प्रतिनिधि सहायक अभियंता रावणभाठा जोन, छ.स्टे. पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमि., रायपुर द्वारा आवेदिका को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 389 दिनांक 09.01.2026 के अनुपालन में अपने जवाबदावा पत्र क्रमांक 1482 दिनांक 12.01.2026 के माध्यम से सूचित किया है कि :–

"दिनांक 27.07.2025 को आपका पुराना मीटर बदली कर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था, जिसके बाद दिनांक 15.09.2025 को इस

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

कार्यालय में आपके द्वारा आपके विद्युत कनेक्शन बी.पी. 1005888515 का स्मार्ट मीटर लगने के पश्चात अधिक बिल आने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई है । जिसके आधार पर कार्यालयीन कर्मचारी द्वारा मीटर की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि आपके उक्त मीटर में प्राप्त रीडिंग के आधार पर ही बिल जारी किया गया है साथ ही आपके मीटर के संयोजित भार 4 किलोवाट था जो कि उच्चतम भार के आधार पर स्वतः (Automatic) ही बढ़कर वर्तमान में 6 किलोवाट हो गया, जिसका सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज नियमानुसार रू0 1600 आपके बिल में जोड़ा गया है । साथ ही वित्तिय वर्ष 2025–26 के लिए निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु जारी टैरिफ आदेश क्रमांक 848 दिनांक 01.08.2025 के अनुसार घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिल में मिलने वाला छुट बंद किया गया है । आपके विद्युत बिल का विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. | माह | पूर्व रीडिंग | वर्तमान रीडिंग | कुल खपत | एम.डी. | मासिक बिल | बिल में जुड़े अन्य चार्ज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अगस्त–25 | 46 | 687 | 641 | 6 KW | रू0 4218.52 | |
| 2 | सितंबर–25 | 687 | 1364 | 677 | 5 KW | रू0 4583.26 | |
| 3 | अक्टूबर–25 | 1364 | 1742 | 378 | 6 KW | रू0 2145.60 | |
| 4 | नवंबर–25 | 1742 | 2007 | 265 | 5 KW | रू0 3130.53 | 2 किलोवाट भार वृद्धि का शुल्क रू0 1600 (जी.एस.टी. के साथ) एवं FPPAS चार्ज रू0 452.54 |

अतः आपके विद्युत मीटर में प्राप्त रीडिंग एवं लोड के आधार पर आपको बिल जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है जानकारी सूचनार्थ प्रेषित है ।"

**फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा रखे गये तथ्यो का विवरण :–** दिनांक 21.01.2026 को फोरम के समक्ष उभयपक्षो द्वारा उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :–

**3.** यह कि आर.डी.ए. कालोनी के पास, बोरियाखुर्द रायपुर स्थित आवेदिका के परिसर में आवेदिका के नाम पर घरेलू उपयोग हेतु 6.0 कि.वा. भार का स्थायी विद्युत कनेक्शन बी.पी.क्रमांक 1005888515 के माध्यम से उत्तरवादी द्वारा प्रदाय किया गया है । कुछ माह पूर्व उत्तरवादी द्वारा आवेदिका के परिसर में स्थापित पुराने विद्युत मीटर को बदलकर नया मीटर

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

स्थापित कर दिया गया । आवेदिका के अनुसार नए मीटर की स्थापना के बाद उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि का देयक प्रेषित किया गया जिसके संबंध में उसके द्वारा दिनांक 15.09.2025 को उत्तरवादी के कार्यालय में लिखित जानकारी प्रस्तुत करते हुए मीटर की जांच एवं तद्नुसार देयक में संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया । आवेदिका के इस आवेदन पर उत्तरवादी द्वारा मीटर जांच संबंधी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी एवं माह दिसंबर में राशि रू. 6010.00 का देयक प्रेषित कर दिया गया जो कि अत्यधिक राशि का था । आवेदिका द्वारा इस देयक का भुगतान न किए जाने पर उत्तरवादी द्वारा माह जनवरी 2026 में आवेदिका का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया गया ।

**4.** यह कि अपने परिसर में नया मीटर स्थापित किए जाने के पश्चात उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि का विद्युत देयक प्रेषित किए जाने, देयक संबंधी समस्या का समाधान किए बगैर विद्युत लाईन विच्छेदित किए जाने से व्यथित होकर एवं अविलंब विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को पुनः संयोजित करते हुए मीटर एवं देयक की जांच कर देयक में आवश्यक संशोधन किए जाने के निवेदन के साथ आवेदिका द्वारा प्रकरण विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में प्रस्तुत किया गया है ।

**5.** यह कि उत्तरवादी द्वारा पत्र कमांक 1482 दिनांक 12.01.2026 के माध्यम से प्रेषित अपने जवाबदावा में लेख किया गया है कि आवेदिका द्वारा अत्यधिक राशि का देयक प्रेषित किए जाने संबंधी की गयी शिकायत पर कार्यवाही करते हुए आवेदिका के परिसर स्थित मीटर की जांच करने पर मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार ही देयक प्रेषित किया जाना पाया गया । उत्तरवादी के अनुसार आवेदिका के मीटर में दर्ज अधिकतम मांग का उसके अनुबंधित भार से अधिक पाए जाने पर सैप सिस्टम द्वारा स्वतः भार वृद्धि (4 कि.वा. से 6 कि.वा.) करते हुए सप्लाई अफोर्डिंग राशि 1600.00 आवेदिका के देयक में जोड़ी गयी है जो नियमानुसार है । आवेदिका को प्रेषित देयक सही एवं भुगतान योग्य है ।

**6.** प्रस्तुत प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

अ. क्या आवेदिका द्वारा अपने परिसर स्थित विद्युत मीटर की जांच किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उत्तरवादी द्वारा की गयी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) विनियम के अनुसार है ।

ब.-यदि नहीं तो क्या आवेदिका, उत्तरवादी से उसके द्वारा किए गए विलंब के लिए प्रतिकर राशि प्राप्त करने की पात्रता रखती है ।

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

7. यह कि दिनांक 21.01.2026 को फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित आवेदिका प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि माह सितंबर 2025 में उसके परिसर में नवीन मीटर की स्थापना होने के बाद उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक राशि रू. 4218.00 का देयक प्रेषित किया गया । दिनांक 15.09.2025 को उत्तरवादी के कार्यालय में मीटर की जांच किए जाने एवं देयक राशि में कमी किए जाने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने एवं कई बार मौखिक निवेदन किए जाने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा उनके परिसर स्थित मीटर की जांच की कार्यवाही नहीं की गयी । विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम मे प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के बाद ही उत्तरवादी के कर्मचारी द्वारा उसके परिसर स्थित मीटर की जांच की गयी । उत्तरवादी का यह कृत्य, उपभोक्ताओं की शिकायत के प्रति उसके गंभीर नहीं होने को दर्शाता है ।

8. यह कि फोरम के समक्ष उपस्थित उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि आवेदिका द्वारा फोरम के समक्ष की गयी शिकायत के बाद दिनांक 10.01.2026 को उसके परिसर स्थित मीटर की जांच की गयी जिसमें मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के अनुसार ही देयक का प्रेषित किया जाना पाया गया । यद्यपि स्मार्ट मीटर स्थापित करने वाली अनुबंधित कंपनी मेसर्स टाटा पावर को मेल के माध्यम से आवेदिका की मीटर संबंधी शिकायत के संबंध में सूचित किया गया जिसके प्रत्युत्तर में प्रेषित मेल दिनांक 15.01.2026 के माध्यम से कंपनी द्वारा आवेदिका के मीटर में इनकमिंग केबल के बर्स्ट होने अथवा इनकमिंग केबल में कार्बन आ जाने की आशंका जताते हुए न्यूट्रल डिस्टर्बेंस होने की पुष्टि की गयी ।

उत्तरवादी के अनुसार दिनांक 17.01.2026 को आवेदिका के परिसर स्थित मीटर की पुनः जांच किए जाने पर मीटर का इनकमिंग केबल खराब होना पाया गया । मीटर के टर्मिनल में तीनों फेज का व्होल्टेज क्रमशः 110/75/252 व्होल्ट पाया गया जबकि मीटर में व्होल्टेज क्रमशः

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

240 / 240 / 240 व्होल्ट दर्ज होना पाया गया । मीटर के टर्मिनल एवं मीटर में दर्शित व्होल्टेज के विसंगतिपूर्ण होने के कारण मीटर को खराब (defective) मानते हुए एवं उसमे दर्ज खपत को अमान्य करते हुए आवेदिका के पूर्व अवधि के देयकों को औसत आधार पर संशोधित किया गया जिससे आवेदिका के देयक में राशि रू. 9704.00 का क्रेडिट दिया गया है ।

**9.** यह कि आवेदिका के, मीटर जांच संबंधी निवेदन पर कार्यवाही किए जाने के संबंध में उत्तरवादी द्वारा पत्र दिनांक 27.01.2026 के माध्यम से लेख किया गया है कि आवेदिका की शिकायत पर प्रकाश एप के माध्यम से मीटर में दर्ज रीडिंग की जांच की गयी एवं मीटर में दर्ज खपत अनुसार ही देयक प्रदान किया जाना पाया गया । उत्तरवादी के अनुसार आवेदिका की शिकायत पर मीटर की जांच भी की गयी थी लेकिन स्थल निरीक्षण प्रपत्र नहीं बनाया गया था ।

उत्तरवादी द्वारा आवेदिका की शिकायत के बाद उसके परिसर स्थित मीटर की जांच किए जाने का लेख किया गया है लेकिन इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है । उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से आवेदिका के परिसर स्थित मीटर की जांच प्रथम बार दिनांक 10.01.2026 को, अत्यंत विलंब से किया जाना दर्शित होता है ।

**10.** यह कि आवेदिका द्वारा फोरम के समक्ष अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का उल्लेख करते हुए यह कथन किया गया कि माह सितंबर 2025 में उसके द्वारा की गयी लिखित शिकायत एवं कई बार मौखिक निवेदन करने पर भी उत्तरवादी द्वारा मीटर जांच संबंधी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किए जाने एवं उसके विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किए जाने से उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ।

आवेदिका द्वारा बताया गया कि उत्तरवादी द्वारा प्रेषित संशोधित देयक उसे अब तक प्राप्त नहीं हुआ है तथापि उत्तरवादी द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से उसे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उसके देयक में सुधार कर दिया गया है । उत्तरवादी द्वारा मीटर की जांच की कार्यवाही विलंब से किए जाने पर आवेदिका द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया यद्यपि उत्तरवादी द्वारा उसके देयक में संशोधन कर दिए जाने की कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी ।

**11.** यह कि उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत, आवेदिका के परिसर स्थित मीटर जांच की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में, मीटर टर्मिनल एवं मीटर डिस्प्ले में दर्ज

रायपुर (शहर)

व्होल्टेज के अंतर के संबंध में पूछे जाने पर उत्तरवादी द्वारा बताया गया कि मीटर टर्मिनल में सामान्य से कम व्होल्टेज दर्ज रहने की स्थिति में भी स्मार्ट मीटर द्वारा सामान्य व्होल्टेज दर्ज करते हुए तद्नुसार खपत की गणना की जाती है । प्रस्तुत प्रकरण में भी मीटर द्वारा वास्तविक खपत की तुलना में अधिक खपत दर्ज करना पाया गया । उत्तरवादी के अनुसार सर्विस केबल कनेक्शन में सुधार के बाद मीटर में न्यूट्रल डिस्टर्बेंस की समस्या का समाधान हो गया एवं आवेदिका का मीटर नहीं बदला गया ।

फोरम के अनुसार मीटर टर्मिनल में पर्याप्त व्होल्टेज नहीं होने पर भी मीटर द्वारा सामान्य व्होल्टेज (240 व्होल्ट) के अनुसार खपत की गणना करना तकनीकी रूप से विसंगतिपूर्ण है । उत्तरवादी द्वारा स्मार्ट मीटर की इस विसंगति का शीघ्र ही निराकरण किया जाना चाहिये ।

**12.** यह कि फोरम द्वारा उत्तरवादी से यह पूछे जाने पर कि आवेदिका के मीटर जांच संबंधी निवेदन पर मीटर की जांच सक्षम मीटर टेस्टिंग लैब मे कराए जाने अथवा परिसर में चेक मीटर स्थापित किए जाने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी, उत्तरवादी द्वारा कथन किया गया कि भिलाई स्थित मीटर परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा स्मार्ट मीटर की जांच की कार्यवाही नहीं की जा रही है । उत्तरवादी के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की जांच हेतु चेक मीटर लगाने के संबंध में मेसर्स टाटा पावर (स्मार्ट मीटर लगाने एवं बदलने हेतु अनुबंधित कंपनी) के प्रतिनिधि से चर्चा करने पर बताया गया कि चेक मीटर स्थापित किए जाने के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है ।

अवगत हो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत आपूर्ति संहिता (चतुर्थ संशोधन) 2024 की कंडिका 31 यथा – "New sub-Regulation (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n) and (o) shall be added after Regulation 8.16 of the Principal Code" की उपकंडिका (एल) यथा

(l) Where complaints are received from consumers related to excess reading/billing, check meters are to be compulsorily installed. एवं उपकंडिका (एन) यथा

(n) The check meters shall be installed for a continuous period of not less than three months and the reading, so registered,

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

should be reviewed for every billing cycle against the reading of the smart meter for the same period. Corrective action if required is to be ensured without any delay.

के अनुसार किसी उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर स्थित स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के संबंध में किसी प्रकार का संदेह प्रकट करने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर स्थापित कर 03 माह की अवधि तक दोनों मीटरों में प्राप्त खपत की समीक्षा कर यदि आवश्यक हो तो अविलंब सुधार की कार्यवाही की जानी है । उत्तरवादी द्वारा चेक मीटर लगाने से इंकार किया जाना सप्लाई कोड के प्रावधानों का उल्लंघन होगा ।

**13.** यह कि छत्तीसगढ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम 2024 में दर्ज "अनुसूची 1 एवं 2 का अनुलग्नक" के अनुसार –

| सेवा का स्वरूप | निष्पादन के मानक अंतर्गत सेवा प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा |
|---|---|
| 3. मीटर | |
| (क) त्रुटिपूर्ण/बिना (बंद, धीमें एवं तेजी से चलने) वाले मीटर संबंधी उपभोक्ता शिकायत प्राप्त होने पर मीटर का निरीक्षण | ए संवर्ग के शहर 04 (चार) दिवस<br>नगरीय क्षेत्रों में 07 (सात) दिवस<br>ग्रामीण क्षेत्रों में 12 (बारह) दिवस |

मीटर के अधिक खपत दर्ज करने अर्थात तेज चलने की शिकायत दिनांक 15.09.2025 को प्राप्त होने पर उत्तरवादी द्वारा 07 कार्य दिवस में मीटर की जांच की जानी थी जो कि अत्यंत विलंब से दिनांक 10.01.2026 को की गयी अतः उत्तरवादी द्वारा इस कार्य हेतु छ.ग.राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि का उल्लंघन किया जाना दर्शित होता है ।

**14.** यह कि उत्तरवादी के अनुसार टाटा पावर कंपनी को ई मेल के माध्यम से आवेदिका की शिकायत प्रेषित किए जाने के बाद टाटा पावर से प्राप्त जानकारी के आधार पर मीटर के कनेक्शन में खराबी होने एवं मीटर द्वारा असामान्य खपत दर्ज किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई । फोरम के अनुसार आवेदिका की प्रथम लिखित शिकायत दिनांक 15.09.2025 को प्राप्त होने के बाद भी उत्तरवादी द्वारा टाटा पावर को ई-मेल के माध्यम से आवेदिका की शिकायत के संबंध में सूचित किया जा सकता था अथवा

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

आवेदिका के परिसर में चेक मीटर स्थापित करते हुए मीटर की कार्य प्रणाली की जांच की जा सकती थी । ताकि मीटर के कनेक्शन एवं उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित त्रुटि की जानकारी प्राप्त करते हुए उचित समय पर आवेदिका की शिकायत का निराकरण किया जा सके लेकिन उत्तरवादी ऐसा करने में अत्यधिक विलंब किया गया और फोरम के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने के बाद ही मीटर जांच की कार्यवाही आरंभ की गयी जिससे आवेदिका को अनावश्यक ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा । उत्तरवादी की यह कार्यवाही आवेदिका की शिकायत के निराकरण के प्रति उसके संवेदनशील नहीं होने को स्पष्ट करती है ।

15. यह कि उत्तरवादी द्वारा एक तरफ तो आवेदिका के मीटर जांच किए जाने के आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी दूसरी ओर आवेदिका द्वारा देयक का भुगतान नही किए जाने के आधार पर उसके विद्युत कनेक्शन को दिनांक 06.01.2026 को विच्छेदित कर दिया गया जिसे आवेदिका द्वारा देयक का भुगतान किए जाने पर दिनांक 09.01.2026 को पुनः संयोजित किया गया । आवेदिका के, मीटर जांच संबंधी निवेदन पर यथोचित कार्यवाही किए बिना ही आवेदिका के परिसर का विद्युत कनेक्शन विच्छेद किया जाना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है । यदि उत्तरवादी द्वारा उचित समय पर मीटर की जांच स्वयं/टाटा पावर के माध्यम से करते हुए आवेदिका के देयक में सुधार कर दिया जाता तो आवेदिका को तीन दिनों तक विद्युत की सुविधा से वंचित रखने जैसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सकता था ।

16. यह कि प्रकरण से संबंधित तथ्यो की उपरोक्त विवेचना के बाद फोरम इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही करने मे एवं आवेदिका को संशोधित देयक प्रेषित करने में उत्तरवादी द्वारा अत्यधिक एवं अनुचित विलंब किया गया है । फोरम के समक्ष आवेदिका द्वारा देयक में संशोधन किए जाने की उत्तरवादी की कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि की मांग नहीं की गयी अतः फोरम, उत्तरवादी द्वारा आवेदिका के परिसर स्थित मीटर की जांच विलंब से किए जाने के आधार पर आवेदिका को किसी प्रकार की प्रतिकर राशि प्रदान नहीं किया जाना उचित समझता है । आवेदिका द्वारा उत्तरवादी द्वारा की गयी मीटर जांच एवं तदनुसार देयक संशोधन की कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की

(मुहर: उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, रायपुर (शहर))

गयी है, अतः फोरम के मतानुसार इस प्रकरण में अन्य किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता शेष नहीं है । तथापि फोरम, उत्तरवादी को निर्देशित करता है कि आवेदिका से विद्युत विच्छेदन/संयोजन (RC/DC) के नाम पर ली गई राशि यदि कोई हो तो एवं अनावश्यक भार वृद्धि हेतु मांग की गयी/जमा कराई गई सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज की राशि 1600/– तथा अतिरिक्त वसूल की गई स्थायी प्रभार की राशि को आवेदिका के देयक में समायोजित किया जाना सुनिश्चित करें । एतद् कृत कार्यवाही के उपरांत आदेश का पालन प्रतिवेदन रिपोर्ट 30 दिवस के अंदर फोरम कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

17. आदेश पारित ।

18. प्रकरण निराकृत ।

19. अनावेदक पालन प्रतिवेदन 30 दिवसों के अन्दर देवें ।

20. यदि आवेदक/उपभोक्ता इस आदेश से संतुष्ट न हो तो 45 दिन के अंदर विद्युत लोकपाल में अपील कर सकता है ।

हमारे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया ।

निर्णय घोषित किया गया

(निमिष परमार)
**सदस्य**
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम रायपुर (शहर)

(एम.डी. बड़गैया)
**अध्यक्ष**
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम रायपुर